2021/52   अपीलांट 31/2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल ज़ज

तारीख हुक्म	केसरीया बगै0 बनाम कमलेश बगै0 अपील सं0 31/2021
05.07.2021	अपीलांट अभिभाषक उपस्थित। अपील वाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्व पेश की गयी है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी।

विद्वान अपीलांट एड0 ने बहस अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र में अपील के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 214 रकबा 0.22 हैक्टेयर पर अपीलार्थीगण विगत 30–35 वर्षो से निर्बाध रूप से खेती कर अपना जीवनयापन करते चले आ रहे है एवं रेस्पों0 द्वारा सम्पूर्ण वाद पत्र में आस–पास उनकी कोई खातेदारी भूमि होना अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट विधित है कि रेस्पों0 का अपीलार्थी की भूमि के पास किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है, न ही खातेदारी भूमि के चारों और राजस्व रिकॉर्ड एवं भौतिक रूप से कोई रास्ता नहीं है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के कपोल कल्पित तरीके से रास्ते के काम में आना मानने की अहम भूल की, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश रिकॉर्ड के विपरीत एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रलेखीय साक्ष्य तथा अपी0 का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट में प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का सन्तुलत तथा अपूर्णनीय क्षति अपी0 के पक्ष में सिद्व होते हुये भी अपना आदेश गलत रूप से पारित किया है। जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2019 को निरस्त किये जाने की कृपा करें।

(हस्ताक्षर) 5.7.21
राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया।

चूकिः अपील अन्तरिम आदेश दिनांक 20.09.2019 के विरूद्व पेश की गई है। जिसमें उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर [illegible] शीघ्र निर्णय किया जाना आवश्यक है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 62/2019 उनवानी कमलेश बनाम केसरीया बगै0 में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुय यथासंभव प्रकरण का निस्तारण एक माह में करें।

Scanned with CamScanner

पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.7.21

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner